# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 06/2016

जीसीएमएस नम्बर : 2016/00158

| प्रार्थी:- | बनाम | अप्रार्थीगण :- |
|---|---|---|
| देवाराम गोदीपुत्र पूरा जाति सिरवी निवासी ईसाली तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली | | 1. ग्राम पंचायत ईसाली जरिये सरपंच |

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजुदास वैष्णव।

**-: निर्णय :-**

दिनांक : 25/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत ईसाली द्वारा मिसल संख्या 22/68-69, प्रस्ताव दिनांक 06.04.69 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 37 के विरूद्ध पेश की हैं। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ग्राम ईसाली का मूल निवासी है तथा जन्म से ही यहीं निवास करता हैं। प्रार्थी जब नाबालिग था तो उसे पुराजी द्वारा गोद लिया गया। गोद देने में प्रार्थी के प्राकृतिक माता पिता की भी सहमति थी। गोद आने के बाद पूराजी की समस्त चल अचल सम्पत्ति में प्रार्थी के हक अधिकार निहित हो गये। पूराजी का एक आवासीय भूखण्ड ग्राम ईसाली में आया हुआ है, जिसके पडौस पूर्व दिशा में बेरा आगणवा का जाव, पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, उत्तर दिशा में सरगरा केसा का बाडा एवं दक्षिण दिशा में सरगरा काना का मकान स्थित हैं। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी ने अपने स्वयं के खर्चे से मकान बनाया। प्रार्थी के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र ने पूराजी की सम्पति में पूराजी के पुत्र बनकर उनकी सम्पतियों में रमेशचन्द्र पुत्र पूरा के नाम दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थी का गोदनामा स्वयं रमेशचन्द्र ने अपनी सहमति से रजिस्टर्ड करवाया। न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.05.2022 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में मृत खातेदार पूरा द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामें के दस्तावेज दिनांक 27.02.2023 तथा अपीलाण्ट के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र को मृत खातेदार पूराजी द्वारा गोद लेने सम्बन्धी दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिये है। रमेशचन्द्र ने गलत तथ्य पेश कर अप्रार्थी से मिलीभगत कर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। रमेशचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है इसलिये उनको प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। ग्राम पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया हैं। अतः जैर निगरानी याचिका को स्वीकार फरमाते हुये विधिविरूद्ध जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत ईसाली द्वारा मिसल संख्या 22/68–69, प्रस्ताव दिनांक 06.04.69 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 37 के विरूद्ध पेश की हैं। जैर निगरानी याचिका अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लगभग 47 वर्ष के अप्रत्यक्षित विलम्ब के बाद पेश की गयी और इस विलम्ब के सम्बन्ध में उन्होनें कोई उचित व वास्तविक कारण प्रलिक्षित नहीं किये हैं। हालांकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है लेकिन यदि निगरानी याचिका बिना कोई उचित कारण बताये अत्यधिक लम्बे अप्रत्यक्षित विलम्ब के पश्चात् पेश की गयी हो तो उसमें मियाद को कण्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 270–राजस्थान पंचायत नियम, 1996–नियम 166–पुनरीक्षण–का विस्तार– प्रार्थी ने कलेक्टर के समक्ष यह अभिकथित करते हुए पुनरीक्षण दायर किया कि ग्राम पंचायत ने विधि के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये–पुनरीक्षण 21 वर्षों की देरी से दायर किया गया–प्रार्थी को अपील का त्वरित उपचार उपलब्ध था लेकिन उसने पुनरीक्षण याचिका को पोषणीय करने में हितबद्ध व्यक्ति है–पट्टे वर्ष 1981 में जारी किये गये तथा प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 में दायर की वह भी देरी का समुचित कारण बताये बिना–अप्रार्थी संख्या 6 ने वर्ष 1998 में विवादित भूमि पर निर्माण कराना शुरू किया तथा इस बारे में अन्य लोगों ने दीवानी वाद भी दायर किया–निर्णित, जिला कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके सही किया। इसी प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2002(1)RRT 434 Chiranji lal & Add. Collcetor III, Jaipur & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137–धारा 97 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग–राज्य सरकार को असीमित शक्त्यिां है–अनुच्छेद 137 के उपबन्ध लागू नहीं होते है–39 वर्ष पश्चात् पट्टा निरस्त करना मनमानी है एवं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है–प्रार्थी के भूमि पर अधिकार सृजित हुए–अभिनिर्णीत, अपर कलेक्टर ने पट्टा निरस्त करने में अवैधता की है–आदेश अपास्त किया, साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2005(2) RRT 1225 Gordhan & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953–धारा 27ए–ग्राम पंचायत ने 125 भूखण्ड नलामी द्वारा बेचे–बाजार दाम से कम मूल्य पर भूखण्ड बेचने की शिकायत पर कलेक्टर ने विक्रय निरस्त किया–उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर का आदेश अपास्त किया गया–उच्च न्यायालय के निर्णय के 7 वर्ष बाद पंचायत विस्तार अधिकारी ने विभिन्न निगरानियां पेश की–जांच रिपोर्ट के अलावा अन्य साक्ष्य नहीं–पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उपयोग में 6–7 वर्ष का असाधारण विलम्ब–जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण के ध्यान में नहीं लाई गई और उसमें उल्लेखित आरोपों का जवाब देने का अवसर नहीं दिया–22 वर्ष पूर्व भूखण्ड क्रय किये और अब निलामी क्रेताओं को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा–आदेश अपास्त किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका लगभग 47 वर्ष बाद देरीना के बिना कोई ठोस व स्पष्ट कारण बताये हुये प्रस्तुत की, जो प्रथमदृष्टया म्याद के आधार पर खारिज योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज यह था कि प्रार्थी पुराजी का गोदीपुत्र है तथा प्रार्थी के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र ने स्वयं को पुराजी का पुत्र होना बताते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, इसकी ताईद में इन्होनें शपथ पत्र, पर्चा लगान तथा माननीय न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जोधपुर का निर्णय पेश किया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 27.02.1973 के अनुसार पूरा पुत्र दौलाजी के कोई जायन्दा सन्तान नहीं है तथा उन्होनें प्रार्थी देवाराम पुत्र रमेशचन्द्र को गोद लिया है। साथ ही गोदनामा में यह भी अंकित है कि "देवा नाबालिग है और मै वृद्ध हूं इसलिये मै व मेरे पुत्र दोनों ही काश्त नहीं कर सकते है और जब तक यह लडका नाबालिग रहेगा, तब तक रमेशचन्द्र मेरी चल व अचल सम्पति की देखरेख करेगे" एवं उक्त गोदनामें में रमेशचन्द्र के साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर भी हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी देवाराम को रूपाजी द्वारा दिनांक 27.02.1973 को गोद लिया गया, जिस पर प्रार्थी के प्राकृतिक पिता की सहमति रूपी हस्ताक्षर भी हैं। इसके अतिरिक्त न्यायलय अति: सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपील संख्या 121/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2022 के द्वारा ग्राम ईसाली के नामान्तरकरण संख्या 557 को निरस्त कर अपीलाण्ट के पक्ष में पंजीबद्ध गोदनामें व प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र को मृत खातेदार पूराजी द्वारा गोद लेने सम्बन्धी दस्तावेज की जांच कर पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। साथ ही प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ–पत्र भी पेश किया। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र है एवं प्रार्थी, पुराजी का गोदीपुत्र हैं। पत्रावली पर उपलब्धं भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान भू–राजस्व (बन्दोबस्त कार्यवाही) (राजस्व मंडल) नियम, 1957 के अन्तर्गत संशोधित पर्चा लगान के अंकितानुसार रमेशचन्द्र के पिता का नाम नवला हैं। साथ ही ग्राम ईसाली की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार खसरा संख्या 262 व 263 में खातेदार रमेशचन्द्र पुत्र पूरा एवं रमेशचन्द्र पुत्र नवला दोनों का नाम अंकित है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र है एवं प्रार्थी, पुराजी का गोदीपुत्र हैं लेकिन पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि रमेशचन्द्र पुत्र पूरा तथा रमेशचन्द्र पुत्र नवला एक ही व्यक्ति है अथवा अलग–अलग?

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने अपील निगरानी मीमों में अंकित किया कि रमेशचन्द्र फौत हो जाने से उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उनके किसी विधिक वारिसानों के बारे में कोई तथ्य प्रकट किये। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के प्रकरण संख्या 121/2018 में प्रकाश एवं केसाराम उर्फ किशोर को रमेशचन्द्र का पुत्र होना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बताया है लेकिन उन्हे प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाकर झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी याचिका पेश की है, जो कि प्रथमदृष्टया ex facie falls कथन किये, इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त 2010 डीएनजे एसई पेज 294 में पारित सिद्धान्त अनुसार न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से पेश नहीं आये हैं।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का मूल उद्देश्य किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में परीक्षण किया जाना है न कि उस भूमि से सम्बन्धित किसी अन्य प्रकरण का। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961, के नियम 266 के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 256 से 268 में विहित प्रावधानों के अनुरूप हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जा सुदा भूमि का पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें जैर आराजी की स्थिति अंकित चतुर्दशी से स्पष्ट होती हैं। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता कि आदेशिका दिनांक 05.02.69 के द्वारा नक्शा बनाये जाने एवं आदेशिका दिनांक 12.02.69 के द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये। प्रश्नगत भूमि का विधिनूसार नक्शा बनाया गया, जिस पर सायल, नक्शा बनाने वाले तथा सरपंच के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात तीन पंचों ने नियम 258 के तहत "क से ङ" के बिन्दुओं नियमानुसार मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर पंचों के हस्ताक्षर तथा दिनांक का भी अंकन है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य हैं। हस्तगत प्रकरण में कब्जा सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाह के बयान लिये गये हैं। साथ ही प्रकरण में नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में आपत्ति इश्तिहार भी जारी किया गया, जिसे सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट एवं गवाहों के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 266 के तहत 7 पैसा की शुल्क पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया तथा उक्त राशि पट्टाधारक द्वारा जरिये रसीद क्रमांक 621 दिनांक 12.09.69 से जमा करवाये गये। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पट्टा आवंटन के नियमों की पूर्णत पालना की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी जैर निगरानी पट्टा विधि सम्मत है।

उपुर्यक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 खारिज किया जाता है। साथ ही विकास अधिकारी पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन को निर्देशित किया जाता है कि वे दो माह में जाँच करे कि रमेशचन्द्र पुत्र नवलाजी और रमेशचन्द्र पुत्र पुराजी एक ही व्यक्ति है अथवा अलग–अलग ? और क्या प्रार्थी के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ने वास्तव में अपने आप को पुराजी का पुत्र होना बताते हुये झूठें तथ्य पेश किये जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रक्रिया दूषित (Vitiate) हुई हों तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत के स्तर पर रही साधारण लिपिकीय या प्रक्रियात्मक कमियों के कारण लगभग 47 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली